mau 26/3/18

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

खण्ड–2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्र. 6183 / 22 / वि–12 / ग्रासप्रा / संधारण / 18 भोपाल दिनांक 24/ 03 / 18

प्रति

महाप्रबंधक (समस्त),
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई,
..............(म.प्र.)

विषय :– ई–मार्ग में रूटीन मेंटेनेन्स देयकों के संबंध में।

–0–

5 वर्ष अंतर्गत संधारण में ठेकेदारों के द्वारा बिल प्रस्तुतीकरण किया जाता है। वर्तमान समय में ई–मार्ग में बिल प्रस्तुतीकरण की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं । 1 मई 2018 से ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे देयकों को समय सीमा से संबद्ध किया जा रहा है। इस संबंध में निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जाये –

4. निर्माण कार्यों के अनुबंधों में पूर्णता के उपरांत ठेकेदार द्वारा 5 वर्ष तक संधारण करने एवं उसके भुगतान का प्रावधान है। अनुबंधानुसार ठेकेदार को संधारण कार्य का मासिक देयक आवश्यक रूप से प्रत्येक माह प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अतः ठेकेदारों को ई–मार्ग पर भी इस समय सीमा का पालन करना होगा।
5. पैकेज की पूर्णता तिथि के तत्काल बाद संधारण प्रारंभ हो जाता है। तथापि इकाईयों को पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने एवं पैकेज की डाटा एन्ट्री में लगने वाले समय को देखते हुए पूर्णता के उपरांत प्रथम छैमाही में देयक प्रस्तुतीकरण, वर्तमान में लागू व्यवस्था के अनुसार जारी रहेगा। सातवें माह से बिल पीरियड समाप्ति की तिथि से एक माह के अंदर online देयक प्रस्तुत न होने पर शून्य राशि का देयक auto generate होकर प्रस्तुत हो जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी पैकेज की पूर्णता तिथि 14.04.2018 है तो उस पैकेज के प्रथम 6 देयक (13.10.2018 तक की अवधि के) वर्तमान प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार 7वें माह की समाप्ति (13.11.2018) तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पैकेज के 7वे देयक एवं बाद के सभी देयको को प्रस्तुत करने की सीमा अवधि समाप्ति के 1 माह बाद तक (13.12..2018) की होगी।

   तथापि संबंधित ठेकेदार को प्रत्येक बिल की अवधि समाप्ति के पूर्व SMS Alert भेजा जाएगा।
6. शून्य राशि के Auto generated देयक को महाप्रबंधक द्वारा portal में शून्य राशि से ही aproove किया जायेगा । इसके लिए performance evaluation की आवष्यकता नहीं रहेगी। तथापि Routine inspection पहले की तरह अनिवार्य होगा।
7. प्रत्येक छःमाह में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार voucher बनाया जा सकेगा जिसमें auto generated शून्य राशि के देयक भी सम्मिलित रहेंगे।

सभी इकाईयां उनके कार्यक्षेत्र में कार्य कर रहे ठेकेदारों को इस आशय की लिखित सूचना प्रदान करेंगे। 01.05.2018 से उक्त प्रावधान लागू कर दिये जायेंगे।

24/3/18

(एम.के.गुप्ता)
प्रमुख अभियंता
म.प्र. ग्रामीण सड़क **विकास प्राधिकरण, भोपाल**

क्र. 6184 /22/वि–12/ग्रासप्रा/संधारण/16 भोपाल दिनांक 24/03/18

प्रतिलिपि–

- मुख्य महाप्रबंधक (समस्त), म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, ... (म.प्र.)
- वरिष्ठ तकनीकी निर्देशक, एन.आई.सी., विंध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
  – की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

24/3

प्रमुख अभियंता
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
भोपाल